—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 81/2024

उनवान

भागचन्द पुत्र मूला जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजगढ,, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छोगा पुत्र नानू,
2. मान्दू पुत्र भाला,
3. रेवता पुत्र छोगा, जाति गुर्जर नि. राजगढ, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

———अप्रार्थीगण :— 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
4 जरियें राज. पैरोकार

5. सोजी पुत्र मूला,
6. जीवणी पत्नी मूला,
7. सोराज,
8. लक्ष्मण,
9. गंगा,
10. मीरा, पि. मूला
11. दूदी पत्नी नन्दा जाति गुर्जर नि. राजगढ, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 5 से 11 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 23.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 2682 रकबा 0.26 व 2683 रकबा 0.08 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा के लिये दिनांक 15.05.24 को सीमांकन करवाया तो पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने दखलदांजी करते हुये नियमानुसार पत्थरगढर कराने की बात कही। उक्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के मध्य अनावश्यक विवाद है। आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी की जा रही है। आराजी मुतनाजा की सीमा की वास्तविक व सही स्थिति की जानकारी हेतु पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 11 ने ... सहमति जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 से 11 की सह खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा उकत आराजी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 15.05.2024 को आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान किया गया। किन्तु मौके पर उपस्थित पडौसी खातेदार ने उक्त सीमाज्ञान से असंतुष्टि जाहिर की। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा का विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी पेश कर सकता है। प्रार्थी पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 2682 रकबा 0.26 व 2683 रकबा 0.08 की की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। आराजी मुतनाजा पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने पर कब्जा सुपुर्द की कार्यवाही की जा कर मात्र पत्थरगढी की कार्यवाही ही की जावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested